

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- जयपुर में राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आर.एस.आर.डी.सी.) के दो प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं एक सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी 1 लाख 20 हजार रुपये रिश्वत लेते-देते गिरफ्तार
- सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी के घर 92 लाख एवं एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के घर 32 लाख रुपये से अधिक की नगदी बरामद
- आरोपियों के आवास एवं ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 03 जून, सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय को मिली एक गोपनीय सूत्र-सूचना पर ए.सी.बी. की जयपुर नगर-तृतीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सियाराम चन्द्रावत अधिशासी अभियंता एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर धौलपुर, लक्ष्मण सिंह अधिशासी अभियंता एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर भरतपुर राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आर.एस.आर.डी.सी.) एवं महेश चंद गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी हाल सलाहकार, मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आर.एस.आर.डी.सी.) को 1 लाख 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते-देते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. मुख्यालय को एक गोपनीय सूत्र-सूचना मिली थी कि राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आर.एस.आर.डी.सी.) के विभिन्न जिलों में हुये/चल रहे निर्माण कार्यों के परियोजना निदेशकों तथा ठेकेदारों द्वारा मिलीभगत कर बजट आवंटन और बिल भुगतान करने के लिये मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आर.एस.आर.डी.सी.) के लिये रिश्वत के रूप में बड़ी धनराशि का लेनदेन किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि के सुपरवीजन में एसीबी की तकनीकी शाखा द्वारा विकसित सूत्र-सूचना पर जयपुर नगर-तृतीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए सियाराम चन्द्रावत अधिशासी अभियंता एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, लक्ष्मण सिंह अधिशासी अभियंता एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आर.एस.आर.डी.सी.) एवं महेश चंद गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी हाल सलाहकार, मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आर.एस.आर.डी.सी.) को 1 लाख 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते-देते गिरफ्तार किया गया है। मौके पर कार्यवाही के दौरान तलाशी में आरोपियों के कब्जे से 1 लाख 11 हजार रुपये संदिग्ध राशि भी बरामद की गई है। आरोपी महेश चंद गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी के निवास की तलाशी ली गई, जिसमें अब तक करीब 92 लाख रुपये से अधिक की नगदी एवं नोट गिनने की मशीन बरामद की जा चुकी है। इसी प्रकार आरोपी सियाराम चन्द्रावत के घर की तलाशी में करीब 32 लाख रुपये नगद बरामद हो चुके हैं। संदिग्ध आरोपी सुधीर माथुर मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आर.एस.आर.डी.सी.) एवं अन्य अधिकारियों के निवास एवं अन्य ठिकानों पर भी तलाशी जारी है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।